

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: विज्ञापन सं. 06/Exam/SI-PC/RPSC/EP-1/2025-26

दिनांक: 17.07.2025

आयोग द्वारा गृह (ग्रुप-1) विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1988 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, सिविल वर्गीक और बतुर्ग श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (Sub Inspector/Platoon Commander) के कुल 1015 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/बृद्धि की जा सकती है) की शाखावार संख्या निम्नानुसार है:-

पदनाम	कुल रिक्त पद
उप निरीक्षक (एपी)	899
उप निरीक्षक (एपी) सहरिया	4
उप निरीक्षक (एपी) अनुसूचित क्षेत्र	25
उप निरीक्षक (आईबी)	26
प्लाटून कमाण्डर (आरएसी)	64
योग	1015

नोट :-

उक्त पदों का वर्गीकरण दृष्टि से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

विशेष नोट :-

- अनुसूचित क्षेत्र के अन्वर्धी गैर अनुसूचित क्षेत्र की शक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अन्वर्धी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अन्वर्धी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अन्वर्धी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अन्वर्धियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।
- टिप्पणी:- यदि अनुसूचित क्षेत्र के अन्वर्धी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता दें।
- सभी अन्वर्धी उपरोक्त तीनों शाखाओं उपनिरीक्षक-Armed Police & Intelligence Bureau एवं प्लाटून कमाण्डर-Rajasthan Armed Constabulary के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अन्वर्धी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार अरक्षित शक्तियों को पर्याप्तवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई शक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार शक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी शक्ति पर्याप्तवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्वर्धी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अन्वर्धियों के उपलब्ध न होने की दशा में शक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित शक्तियों को विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित शक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अन्वर्धियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी शक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अन्वर्धियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित शक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अन्वर्धियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए शक्तियां आरक्षित हैं। महिला अन्वर्धियों के लिए इस प्रकार आरक्षित शक्ति पर्याप्तवर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में रखित महिलाओं को भी पहले महिला कोट के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशक्तजन के लिए वर्राष्टि एवं पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अन्वर्धी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए शक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित शक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और शक्तियों की समाप्त संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी शक्तियां खपत हो जायेगी।
- राजस्थान विद्यार्जन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई शक्ति उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी शक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजता उस शक्ति को निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपसन्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एनबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"

आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं :-

- Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or State Legislature or declared to be deemed as University Under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

Note:

- अन्वर्धी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव या आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अन्वर्धियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याह्वारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याह्वारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अन्वर्धी को कालान्तर में काउन्सिलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। नोट :- साक्षात्कार से पूर्व अनिवार्यता का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।	
रतिय पे-बैच	पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में निश्चित मसिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।	
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2028 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :- उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2021 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अन्वर्धी दिनांक 01.01.2028 को अधिकाधिक के होते हैं, उन्हें निम्न में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। विज्ञापित पदों के अंतर्गत दशायी गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान	
क्र.सं.	अन्वर्धियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राज्य राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years

3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	भूतपूर्व सैनिकों और रिजर्विड अर्थात् जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो, के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age-limit mentioned above shall be 40 years in the case of Ex-Services Personnel and the Reservists, namely the service personnel who are transferred to Reserved.	
5.	राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों तथा कर्तव्य फलन करते समय मारे गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों के लिये अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी। 3 Years in case of the candidates belonging to the State Government employees and the dependents of the deceased Police Officers/Officials killed in the discharge of their duties.	
6.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के सम्मिलित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से मात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the army, shall be deemed to be within the age-limit, when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army.	
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निम्नवादी माने जायेंगे।		

नोट -

1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के विन्दु संख्या 01 से 06 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आसन्न के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आधुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
3. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए निम्नलिखित दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं सञ्चारकार के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 23 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्त प्राधिकारी को अनुसूचित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा एवं सञ्चारकार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।
परीक्षा का स्थान एवं मंडल	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा परतुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 10.08.2025 से दिनांक 08.09.2025 रात्रि 12-00 बजे तक।

आवेदन प्रक्रिया

1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्पुट एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।
4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंगे। यदि इसमें कोई अंतर है तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।
Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परीक्षा ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लग्गी हुई फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर ले ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का निम्न आधार कार्ड में लग्गी हुई फोटो से किया जायेगा।
5. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।
6. अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाँवें हथ्य की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।
7. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चरचा करने हेतु साथ लेकर आयें।
8. अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संकेती विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
9. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।
10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/रुद्ध चुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर डिबार सहित निम्नानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से निम्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
14. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे।
15. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exan Dashboard का समक्ष-समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती हैं। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
16. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/रुद्ध से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संकेती सूचना :- ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना आवश्यक है:-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध निरा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
Note: विधिवत विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विधिवत विवाह (DV) डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेंगी।
3. **One Time Registration (OTR)** लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के नक़्क़म से की जायेगी।
5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तथ्य से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकवर्षीय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के जतिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त नती परीक्षाओं में एकवर्षीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

- | | |
|--|-------------|
| 1. सामान्य (अनारक्षित)/विछड़ा वर्ग के ज़मीनलेख/अति विछड़ा वर्ग के ज़मीनलेख के अभ्यर्थी - | रुपये 600/- |
| 2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विछड़ा वर्ग-नॉन ज़मीनलेख/अति विछड़ा वर्ग-नॉन ज़मीनलेख/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहिया आदिम जाति) के अभ्यर्थी - | रुपये 400/- |
| 3. दिव्यांगजन - | रुपये 800/- |

नोट :-

1. राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विछड़ा वर्ग/अति विछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑफ़न पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकवर्षीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएँ।

एकवर्षीय पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात् परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 09.05.2023 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है:-

- (i) कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य नती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 नती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
 - (ii) अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750/- रुपये का भुगतान करने के पश्चात् ही एकवर्षीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
 - (iii) एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
 - (iv) पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अभ्यर्थी के द्वारा राशि रुपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी।
- टिप्पणी:-** यदि कोई आवेदक किसी कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहृत (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहृत किये जाने पर इस परीक्षा में ओ.टी.आर. प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भूतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा भूतलेखक संकेती विकल्प का चयन किये जाने का अनिवार्य यह नहीं है कि वह भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को भूतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का भूतलेखक ज्ञान चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं भूतलेखक का वचन-पत्र, भूतलेखक के फोटो पहचान पत्र व सैद्धांतिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्राधीक्षक से भूतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का वचन-पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निशक्तता) की वृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर किनेमिलिटी (दोनों हाथों की निशक्तता-Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं भूतलेखक का वचन-पत्र के आधार पर भूतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं भूतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर भूतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भूतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भूतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा भूतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. भूतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध भूतलेखक संकेती इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

नियम 14 के अनुसार Physical fitness:-

- (1) A candidate for direct recruitment of the Service, must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of Service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate promoted in the regular line of promotion or who is already serving in connection with the affairs of the State, if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him are to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency for the purpose.
- (2) Except in the case of women candidates no candidate who is less than 168 Cms in height and whose deflated chest measurement is less than 81 Cms and inflated less than 86 Cms with a minimum 5 Cms expansion of chest shall be deemed to be physically fit;

Provided that:-

- (i) the height and weight of women candidates of any category shall not be less than 152 centimetre and 47.5 kilogram respectively, except Saharia candidates.
- (ii) candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose height and chest measurements are less by 5 centimetres shall be deemed to be physically fit in case requisite numbers of suitable Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates possessing physical fitness standards as laid down in sub-rule (2) of rule 14 are not available.
- (iii) the height of Garhwali and Gurkha candidates shall not be less than 160 centimetre and their deflated and inflated chest must not be less than 79 and 84 centimetre, respectively;

A written Competitive Examination for the post of Sub-Inspector and Platoon Commander shall be conducted by the Commission at such place and time as may be notified by the Commission on the following pattern :-

S. No.	Subject	Duration	Maximum Marks
1	General Hindi	2 hours	200
2	General Knowledge & General Science	2 hours	200

Note :- Syllabus and standards of each subject will be designed in consultation with the Commission

Candidates who obtain 36 percent of marks in each paper and 40 percent in the aggregate shall be deemed to have passed the qualifying examination conducted by the Commission or the Recruitment Board as the case may be. The Commission shall send the list of such successful candidates up to 20 times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained in the written examination.

Provided that relaxation up to 5 marks will be available to candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each paper and in the aggregate.

All candidates who are declared successful in the written examination shall be required to appear before a Physical Efficiency Board, consisting of the Director General-cum-Inspector General of Police or his representative not below the rank of Inspector General of Police, One Deputy Inspector General of Police, One Superintendent of Police/Commandant nominated by the Director General-cum-Inspector General of Police for Physical efficiency test for various districts or group of districts as may be notified. The Physical efficiency test would be vigorous as laid down by the Director General of Police to adjudge suitability of the candidate. The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidate who secure 50% marks there in, shall be eligible for selection. Candidates who are declared successful in the written test and in the physical efficiency test shall be eligible for aptitude test and interview.

Provided that the number of candidates called for aptitude test and interview shall be restricted to three times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained both in the written and in the physical efficiency test except in the case of scheduled castes and scheduled tribes candidates who shall be eligible for interview in excess of the prescribed limit if they have qualified in the written examination and the physical efficiency test.

The aptitude test and interview of the candidates qualifying physical efficiency test, shall carry 50 marks. The Recruitment Board shall award marks to each candidate in respect of suitability to the post, taking into considerations personality, address, tact, behaviour, specialised training, aptitude for the post, judgment, leadership and knowledge of Rajasthan culture. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate. Candidates holding Degree or Diploma in Criminology or N.C.C. „C“ Certificate or who have offered police Administration as one of the papers for the degree examination may be given weight.

RECOMMENDATION

The Commission shall not recommend candidates, who have secured less than 36% marks in interview and 45% marks in aggregate.

Provided that the Commission may recommend women candidates, candidates belonging to the BC, MBC, SC, ST, EWS who though failing to obtain the minimum marks, are declared by Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintain of efficiency of administration, if the candidates secure 30% marks in interview and 40% marks in the aggregates.

नोट:- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आगमन) नियम, 1988 के नियम 18(A)(i) में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

उक्त पर हेतु आधेजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ऑ.एन.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अन्त्यर्धी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से प्राप्त होगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अन्त्यर्धी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- अन्त्यर्धी यथासम्भव मोबाईल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अन्त्यर्धी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अन्त्यर्धी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मेल/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलभुलैया त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की निम्नलिखित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अन्त्यर्धी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मेल अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मेल अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवाएँ। ई-मेल अथवा अन्य स्रोत के भरते न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अन्त्यर्धी के विरुद्ध कार्यवाही करने जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से निम्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसे अधिकारों का परिचय मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विशेष/विभिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्त्यर्धी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्त्यर्धी को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग से ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अन्त्यर्धी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए, तथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अन्त्यर्धी की पात्रता को अनारक्षित/मूल वर्ग की स्थिति के विरुद्ध विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्त्यर्धी की होगी।
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त हो, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के तुरंत पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अन्त्यर्धी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच मूल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतियों से करते समय यदि अन्त्यर्धी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विशेष/विभिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों के परिणामस्वरूप अन्त्यर्धी की अपात्रता ज्ञात होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्त्यर्धी की होगी।
- किसी भती परीक्षा में अन्त्यर्धी रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्त्यर्धी को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्धारित समयवधि के लिए लिंक भेजा जायेगा। निर्धारित समयवधि के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अन्त्यर्धी की अन्त्यर्थात् रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अन्त्यर्धी की होगी।
- माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 जारीएससी बनाम प्रिचका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विषय/परित्यक्ता/विभिन्न विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विचार कर लिया जाता है तो भी उसे विषय/विभिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

20

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने/जुटि सुधार संशोधन अर्थात् के पश्चात् कोई अन्यथा आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/समीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार-कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिक दस्तावेज (यथा - विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राजन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निराश्रयता प्रमाण-पत्र मम 500/- रुपये का ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति स्वीकृत प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अन्यथा विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रद्द/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अर्थात् को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/विच्छिन्न विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/खद माननीय न्यायालय में विचारधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक उक्त पद हेतु तनी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निर्दिष्ट निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मापदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक को पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/जुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- प्रश्न-पत्र में जुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/जुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सभी अर्थात् दिव्यांग को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधिकार/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षार्थी में किसी प्रकार की शिकायत के होने की स्थिति में लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा में व्यक्तान/हंगामा करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधिकार जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परीक्षार्थी के विरुद्ध डिबार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती) में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापक अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी अर्थात्/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेंसियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए नवित्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अर्थात् ही माने जायेगा, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/समीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जाँच में दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाये :-

- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग* के अर्थात् दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारणों से अर्थात् द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अर्थात् को इस आहत का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सुचना गलत पाये जाने पर उसकी निवृत्ति निरस्त की जा सकेगी।
* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अर्थात् को पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।
- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अर्थात् दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अर्थात् दिव्यांगों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के अन्तर्गत पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में निम्नानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अर्थात् एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए निम्नानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।
Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।
- शैक्षणिक/प्रशिक्षण योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता* (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निराश्रयता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण निम्नानुसार जारी होना आवश्यक है। किन्तु श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिक प्रमाण पत्र (यथा - विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राजन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

*नोट:- निदेशालय विशेष योजना के आवेदन दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

- भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशा अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चर्चित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि के विधिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की वहा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर लीयी नहीं के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित निकोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्राथमिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके

लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार बारी के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबद्ध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/सविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्निर्वाचित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। "कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"

9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/संतानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निराह्वित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्तर्त प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संतान पैदा होती हैं, वहाँ बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःश्वेत हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निराह्वित नहीं है तो उसे निराह्वित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विधवा एवं विध्वन् विवाह/तलाकहूदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विध्वन् विवाह/तलाकहूदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अनिवार्य शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को सचन उपरान्त आवरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने का प्रकरण/बाद न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15. आवेदक को सचन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जीव सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पुनः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका सचन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियुक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिः/ऑफलाइन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बंधित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र से पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का सचन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

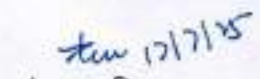
अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वगत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं- 0145-2635212 एवं 2535200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।


 17/7/25
 (रामनिवास मेहता)
 सचिव

क्रमांक: F. 8-A(02)Exam/SI-PC/RPSC/EP-I/2025-26/42

दिनांक : 17.07.2025

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त महानिदेशक, कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक न-5(2)पु.फ./उ.नि.भर्ती/अनु.12/2025/2705 दिनांक 11.07.2025 के श्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 17/7/25
 संयुक्त सचिव